

Office of the District Basic Education Officer BULANDSHAHR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that LILAWATI CONVENT SCHOOL, BILSOORI BLOCK SIKANDRABAD

DISTRICT BULANDSHAHR is permanently recognized for Pre-Primary, Primary and Junior School(class 1 to 8). The Recognition number alloted to LILAWATI CONVENT SCHOOL is 6648-50/2014-15. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

18-06-2025(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4. School Type

Pre-Primary, Primary and Junior School

5.Recognition No.

6648-50/2014-15

DATE:- 18-06-2025

PLACE:- BULANDSHAHR

District Basic Education Officer

Digitally signed by LAXMI KANT PANDEY Date: 2025-06-18 11:35:16 Reason: For Digital Signature Location: BULANDSHAHR

PRINCIPAL

LILAWATI CONVENT SCHOOL BILSOORI (BULANDSHAHR) MANAGER
LILAWATI CONVENT SCHOOL
BILSOORI (BULANDSHAHR)

Note: This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

प्रेषक.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर।

प्रेष्य.

पंचन्धक. लीलावती कॉन्वेन्ट स्वाल बिलसूरी, ब्लॉक-सिकन्दाबाद, जिला-बुलन्दशहर।

पत्रांक /शिष्स्त /मान्यता / 6648-50 /2014-15 विनाक -29/12/2014

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2008 विषय : की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निश्चलक और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया.

आपके तारीख 29.08.2014 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं लीलावसी कॉन्केन्ट् स्कूल, बिलसूरी, ब्लॉक-सिकन्दाबाद, जिला-बुलन्दशहर को तारीख 01.07.2015 से तारीख 30.06.2018 तक तीन वर्ष की अविध के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 06.12.2014 के प्रस्ताव संख्याभे व्यक्त सहमति के आधार पर अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं-

मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठ के 1. पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपावंध 1) 2. और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक / उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ास के कमज़ोर क्यों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक / उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की घारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के

लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाला रखेगा।

सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुक्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

HEERONIN

Lileweti Convent School Bilseon, Bulandshahr

MANAGER LILAWATI CONVENT SCHOOL BILSOORI (BULANDSHAHR)

5.

- 6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:
 - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की घारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अविधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है, और;
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

 7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

18930 वर्ग[ी] मीटर

कुल निर्मित क्षेत्र

3000 वर्ग मीटर

क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल

15930 वर्ग मीटर

कक्षाओं की संख्या

- 13

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडारगार के लिए कक्ष -2

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - उपलब्ध हैं

पेयजल सुविधा

उपलब्ध है।

मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई

बाधारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता

विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता
प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

recours

MANAGER ILAWATI CONVENT SCHOOL BILSOORI (BULANDSHAHR) Principal
Lilawati Convent School
Bilsoori, Bulandshahr

1884.2177.

- 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12. रकूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड, अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या— अंग्रेजी अस्थाई नर्सरी व जूनियर—2 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संस्कार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
- 16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 18. प्रत्येक कक्षा कक्ष में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट का स्थान बैठने हेतु आधार मानकर छात्रों का प्रवेश किया जाये।

भवदीय

(महेश चन्द)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

पृ०सं० / शि०सं० /

/2014-15 तद्दिनांक -

<u>प्रतिलिपि</u>—

1. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी / विकास खण्ड / नगर क्षेत्र ..

----रिक-डाबाद

3. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलन्दशहर

MERRYIM

MANAGER LILAWATI CONVENT SCHOOL BILSOORI (BULAMDSHAHR) Principal
Lilawati Convent School
Bilseori, Bulandshahr